बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–17/विविध 01–223/2025– पटना/दिनांक– / /2026

राज्य के राजकीय चिकित्सा महविद्यालयों से पी०जी० उत्तीर्ण चिकित्सकों को विभागीय आदेश सं0–287(17) दिनांक–05.03.2026 द्वारा बॉण्ड के अधीन दो वर्षो की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु चिकित्सा संस्थानों में पदस्थापित किया गया है, जिसमें कुछ बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के पी०जी० उत्तीर्ण चिकित्सकों का भी पदस्थापन हो गया है, जो पूर्व से ही बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत चिकित्सा संस्थानों में पदस्थापित एवं कार्यरत हैं।

अतः बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के वैसे चिकित्सक, जिनका पदस्थापन पूर्व में ही बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधीन किया जा चुका है, वे विभागीय आदेश सं0–287(17), दिनांक–05.03.2026 के द्वारा पदस्थापित संस्थान में योगदान नहीं करेंगे। वे अपने पूर्व पदस्थापित संस्थान में ही यथावत् कार्य करते रहेंगे। संबंधित चिकित्सकों के द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत पदस्थापित संस्थान में की गयी कार्य अवधि की गणना बॉण्ड अवधि में की जायेगी।

उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक– 17/विविध–01 –223/2025–380(17) पटना, दिनांक :–25/03/2026

प्रतिलिपि :– संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/प्राचार्य एवं अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Renu Kumari 25/03/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी।

Estt/D/Manjit ji/Aadesh